(1)

पंजीकृत डाक

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 2–22/2008/12,
प्रति,

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर, 2011

आयुक्त सह संचालक,
भौमिकी तथा खनिकर्म,
सोनाखान भवन,
रायपुर(छत्तीसगढ़)

विषय :– जिला सरगुजा, तहसील उदयपुर स्थित "परसा" कोल ब्लॉक के रकबा 1252.447 हेक्टर क्षेत्र पर खनिज कोयला की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति–मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कंपनी(पूर्व में छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड) रायपुर

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 992/पीएल–2/पीएल–28/सरगुजा/07, दिनांक 07.03.2008.

—00—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से जिला सरगुजा, तहसील उदयपुर स्थित "परसा" कोल ब्लॉक के रकबा 1252.447 हेक्टर क्षेत्र पर खनिज कोयला की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 28.10.2006 शासन निर्णय हेतु प्रेषित किया गया है।

2/ भारत सरकार, कोयला मंत्रालय के पत्र क्रमांक 13016/23/2006–सीए–I, दिनांक 2.8.2006 द्वारा संशोधित कोल माइनिंग पालिसी अंतर्गत मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रायपुर को हसदेव अरण्य कोल प्रक्षेत्र अंतर्गत परसा कोल ब्लॉक आबंटित किया गया हैं।

3/ आपके संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रायपुर द्वारा जिला सरगुजा, तहसील उदयपुर स्थित केप्टिव कोल ब्लॉक "परसा" के रकबा 1252.447 हेक्टर क्षेत्र पर खनिज कोयला की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें से उपलब्ध क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

वन मंडल / वन परिक्षेत्र का नाम	वन भूमि			बिन्दु	अक्षांश	देशांश
	वन कंपार्टमेंट क्रमांक	कुल रकबा	आवेदित रकबा(हेक्टर)			
वन मंडल दक्षिण सरगुजा परिक्षेत्र उदयपुर	1981,	373.725	07.200	A	22°51'10.51"	82° 47'22.86"
	1982 पी	389.925	100.125	B	22°48'57.01"	82° 46'38.63"
	1986 पी	105.050	25.088	C	22°49'25.25"	82° 45'30.68"
	1997 पी	346.648	16.425	D	22°49'58.92"	82° 45'30.26"
	1998 पी	200.032	40.725	E	22°50'14.70"	82° 45'14.32"
	2005 पी	386.659	64.913	F	22°50'41.58"	82° 45'10.50"
	2006 पी	298.501	290.700	G	22°50'57.73"	82° 45'33.97"
				H	22°51'56.85"	82° 45'37.52"
योग			545.176			

..................2

D:MRD:Sarguja 2-22-2008 parsa coal doc(Nimje)

ग्राम का नाम	राजस्व भूमि(हेक्टर)				महायोग(हेक्टर)
	राजस्व वन वन भूमि	राजस्व भूमि	आदिवासी/अन्य	योग	
सलही	72.990	11.707	66.076	150.773	
हरिहरपुर	34.027	4.140	59.745	97.912	
घाटबर्रा	18.240	5.632	8.702	32.574	वन भूमि 545.176
फतेहपुर	274.953	11.738	103.421	390.112	राजस्व भूमि 707.271
तारा	2.870	——	33.030	35.900	
	403.080	33.217	270.974	707.271	1252.447

4/ मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रायपुर के पक्ष में उपरोक्तानुसार उल्लेखित क्षेत्र पर खनिज कोयला की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति 02 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत करने हेतु खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–5(1) के तहत भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली को पूर्वानुमोदन प्राप्त किए जाने हेतु विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 11.06.2008 के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित किया गया। भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा पत्र क्रमांक 13016/17/2007–CA-I, दिनांक 16.2.2009 द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–5(1) के तहत पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है।

5/ आवेदक कंपनी को विभागीय पत्र दिनांक 17.03.2009 के माध्यम से वन सरंक्षण अधिनियम, 1980 के तहत आवश्यक अनुमति हेतु लेख किया गया।

जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक भू–प्रबंध/खनिज/331–44/559, दिनांक 20.07.2011 एवं कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमण्डल, अंबिकापुर(छत्तीसगढ़) द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 8–35/2009–FC, दिनांक 15.07.2011 द्वारा बनक्षेत्र रकबा 948.256 हेक्टर पर 115 बोरहोल्स 4" व्यास हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। उपर्युक्त प्राप्त अनुमति अनुसार आवेदक कंपनी को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली तथा मुख्य वन संरक्षक, भू–प्रबंध, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा अधिरोपित शर्तो का पालन किया जाना आवश्यक है।

ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–8/2008/13/1, दिनांक 19.12.2008 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का पुर्नगठन कर 05 कंपनियों का सृजन किया गया है उक्त कंपनियां दिनांक 01.01.2009 से अस्तित्व में आ गई है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के उत्पादन संकाय को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित में अधिसूचित किया गया है। अतः उक्त कोयला प्रखण्ड का कार्य <u>छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित</u> द्वारा निष्पादित किया जाना है।

6/ मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कंपनी(पूर्व में छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड) रायपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.07.2011 द्वारा जिला सरगुजा, तहसील उदयपुर के उदयपुर वन परिक्षेत्र के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक

..................3

1981, पी–1982, पी–1986, पी–1997, पी–1998, पी–2005 एवं पी–2006 के कुल 545.176 हेक्टर वनभूमि एवं 403.080 हेक्टर छोटे–बड़े झाड़ का जंगल(राजस्व वन भूमि) वनक्षेत्र का कुल रकबा 948.256 हेक्टर क्षेत्र में 4"व्यास के 115 नग बोरहोल्स की अनुमति निम्नानुसार शर्तो के अधीन प्रदान की गई है :–

1. यह अनुमति 02 वर्षो के लिए वैध होगी।
2. आवेदित वनक्षेत्र 948.256 हेक्टर क्षेत्र में कुल 115 बोरहोल्स 4" व्यास के किया जावेगा।
3. सभी बोरहोल्स को कार्य पूर्ण होने उपरांत सही ढंग से भरा/प्लग किया जावेगा।
4. वन क्षेत्र में पूर्वेक्षण के दौरान कोई वृक्ष नहीं काटा जायेगा एवं न ही वृक्षों/वन क्षेत्र को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा।
5. वनक्षेत्र में पूर्वेक्षण हेतु किसी भी प्रकार की सड़क/भवन इत्यादि कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
6. आवदेक संस्थान प्रतिमाह की भौतिक प्रगति(जिसमें पूर्वेक्षण किए गये क्षेत्र का विवरण, बोर होल्स की संख्या एवं उनसे प्राप्त मटेरियल की मात्रा तथा सतह से एकत्र किए गये नमूनों की संख्या एवं मात्रा का विवरण शामिल होगा) की जानकारी वन मण्डलाधिकारी दक्षिण सरगुजा वनमण्डल एवं जिला खनिज अधिकारी सरगुजा को निर्धारित प्रपत्र में लिखित में देगा।
7. 4"व्यास के कुल 115 बोर होल्स सैंपल कलेक्शन हेतु ड्रिल किये जायेंगे। साथ ही आवेदक संस्थान से 2,500/– प्रति बोर होल की दर से जमानत राशि जमा करावें।

   संस्थान द्वारा वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमण्डल, अंबिकापुर के नाम से रूपये 287500/– जमा की गई है।
8. पूर्वेक्षण के दौरान कोई गड्डा अथवा खंती नहीं खोदी जावेगी।
9. पूर्वेक्षण के उपरांत ड्रिल किये गये बोर होल्स को आवेदक संस्थान द्वारा भरा जावेगा जिसका सत्यापन वन परिक्षेत्राधिकारी उदयपुर से कराकर प्रमाण पत्र लिया जावेगा। इसके पश्चात ही जमानत राशि आवेदक को लौटाई जावेगी।
10. वन क्षेत्रों मे पूर्वेक्षण के दौरान प्राप्त किये गये समस्त प्रकार के सैम्पल भा0व0अ0 1927 के तहत वनोत्पाद के अंतर्गत परिभाषित होंगे, अतः इन सैम्पल के परिवहन की अनुमति छत्तीसगढ़ अभिवहन(वनोपज) नियम, 2001 के अंतर्गत दी जावेगी।
11. पूर्वेक्षण की अवधि के दौरान आवेदक संस्थान वन संरक्षण अधिनियम, 1980, भा0व0अ0 1927, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 एवं छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 एवं एमएमडीआर एक्ट के उल्लंघन पाये जाने पर न केवल इन अधिनियमों/नियमों के प्रावधान लागू होंगे, बल्कि इन अधिनियमों के उल्लंघन पाये जाने पर आवेदक को सुनवाई का मौका दिये जाने पर सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण कार्य पर तुरंत रोक लगा दी जावेगी एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का अनुमति निरस्त कर दी जावेगी।
12. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत पूर्वेक्षण के लिए दी गई यह अनुमति आवेदक को मायनिंग लीज स्वीकृत करने हेतु शासन के लिये कोई पात्रता निर्मित नहीं होगी।

......................4

13. पूर्वेक्षण कार्य के दौरान वनों को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो उनका मुआवजा संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा आंकलन कर आवेदक से वसूल किया जावेगा।

14. यू0एन0एफ0सी0 गाईड लाईन अंतर्गत आईबीएम अनुमोदित की शर्तो का पालन पूर्वेक्षण के दौरान किया जाना अनिवार्य होगा तथा इस सबंध में आवश्यक वचन पत्र आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

15. उप वन मण्डलाधिकारी, उदयपुर एवं वन परिक्षेत्राधिकारी, उदयपुर के द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाय।

7/ जिला सरगुजा, तहसील उदयपुर स्थित उक्त आवेदित क्षेत्र संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र है, अतएव **समथा** निर्णय के परिप्रक्ष्य में खनिज रियायत स्वीकृत किये जाने से पूर्व क्रमशः सचिव स्तरीय समिति एवं मंत्रिमंडलीय उप समिति की अनुशंसा प्राप्त किया जाना आवश्यक है, तथापि **समथा विरूद्व आंध्रप्रदेश शासन के निर्णय की कंडिका-117 में यह लेंख है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कार्य किए जाने हेतु उक्त बंधन से अलग रखा गया है,** अतः इस प्रकरण में अनुशंसा आवश्यक नहीं है।

8/ उपरोक्त स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित{पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कंपनी)} रायपुर के पक्ष में भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के कोल ब्लॉक आवंटन आदेश की शर्तो एवं ऊपर उल्लेखित शर्तो को समाहित करते हुए, नीचे दर्शाये गये विवरण एवं शर्तो के अधीन खनिज कोयला की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति 02 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत करता है :-

8.1 आवेदक का नाम एवं पता- **मे0छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कंपनी(पूर्व में छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड) 101, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर**

8.2 स्वीकृति हेतु उपलब्ध क्षेत्र का विवरण -

वन मंडल /वन परिक्षेत्र का नाम	वन भूमि(हेक्टर)			बिन्दु	अक्षांश	देशांश
	वन कंपार्टमेंट का नाम	कुल रकबा	आवेदित रकबा			
वन मंडल दक्षिण सरगुजा परिक्षेत्र उदयपुर	1981,	373.725	07.200	A	22°51'10.51"	82° 47'22.86"
	1982 पी	389.925	100.125	B	22°48'57.01"	82° 46'38.63"
	1986 पी	105.050	25.088	C	22°49'25.25"	82° 45'30.68"
	1997 पी	346.648	16.426	D	22°49'58.92"	82° 45'30.26"
	1998 पी	200.032	40.725	E	22°50'14.70"	82° 45'14.32"
	2005 पी	386.659	64.913	F	22°50'41.58"	82° 45'10.50"
	2006 पी	298.501	290.700	G	22°50'57.73"	82° 45'33.97"
				H	22°51'56.85"	82° 45'37.52"
योग			545.176			

-----------5

राजस्व भूमि(हेक्टर)					महायोग(हेक्टर)
ग्राम का नाम	राजस्व वन भूमि	राजस्व भूमि	आदिवासी/अन्य	योग	
सलही	72.990	11.707	66.076	150.773	
हरिहरपुर	34.027	4.140	59.745	97.912	
घाटबर्रा	18.240	5.632	8.702	32.574	वन भूमि 545.176
फतेहपुर	274.953	11.738	103.421	390.112	राजस्व भूमि 707.271
तारा	2.870	——	33.030	35.900	
	403.080	33.217	270.974	707.271	1252.447

8.3 खनिज का नाम — कोयला

8.4 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की अवधि— 02 वर्ष

8.5 थियोडोलाईट से सर्वेक्षण यदि आवश्यक हो तो किया जाय।

8.6 वनक्षेत्रों में पूर्वेक्षण के दौरान प्राप्त किये गये समस्त प्रकार के सैम्पल भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत वनोत्पाद के अंतर्गत आते है, अतएव पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के क्षेत्र से एकत्रित सैम्पल्स छत्तीसगढ़ अभिवहन(वनोपज) नियम, 2001 के अंतर्गत संबंधित वन मण्डलाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही हटाया/परिवहन किया जा सकेगा।

9/ भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा कोल ब्लॉक आवंटन हेतु जारी आदेश की शर्तो को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुबंध का भाग माना जायेगा।

10/ मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कंपनी(पूर्व में छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड) रायपुर द्वारा प्रास्पेक्टिंग आपरेशन हेतु नियमानुसार "प्रास्पेक्टिंग स्कीम" तैयार की जाएगी तथा प्रास्पेक्टिंग के दौरान खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिज रियायत मियम, 1960 एवं खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, 1988 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

11/ पूर्वेक्षण कार्य हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत नियमानुसार जो भी अनुमति प्राप्त किए जाने की आवश्यकता हो, तत्संबंधी अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जाय।

12/ पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा **"प्रास्पेक्टिंग स्कीम"** पूर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने की सूचना तथा क्षेत्र के पूर्वेक्षण पश्चात पूर्वेक्षण प्रतिवेदन की प्रति खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, 1988 के नियम-4, 7 एवं 8 के प्रावधानों के तहत **सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इंस्टीट्यूट लिमिटेड,** रांची को प्रेषित की जाने वाली जानकारी की प्रति नियम-52 के अनुसार राज्य शासन/आयुक्त सह संचालक, भौमिकी तथा **खनिकर्म एवं संबंधित जिला कलेक्टर** को नियमों में निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जाएगी।

.......................6

13/ पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृत क्षेत्र में निजी भूमि आती है, तो प्रभावित क्षेत्र के निजी भूमि–स्वामियों से नियमानुसार सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही उन्हें क्षेत्र पर भू–प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। निजी स्वामित्व की भूमि के लिये खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम–72 के अनुसार कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रतिकर(Compensation) राशि संबंधित भूमि स्वामियों को भुगतान करनी होगी तथा खनन कार्य पूर्ण होने पर निजी भूमि स्वामी की भूमि को पहुंची क्षति के लिये खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम–73 के तहत नियमानुसार मुआवजा देय होगा।

14/ मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कंपनी(पूर्व में छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड) रायपुर को आदेश के पैरा–02 में उल्लेखित भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के कोल ब्लॉक आवंटन आदेश दिनांक 02.08. 2006 में उल्लेखित शर्त अनुसार पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के तहत स्वीकृत क्षेत्र पर सफल पूर्वेक्षण उपरांत मायनिंग लीज की स्वीकृति की अवस्था में उत्पादित खनिज कोयला का उपयोग प्रस्तावित परियोजना में ही किया जाएगा।

15/ उपलब्ध क्षेत्र का विस्तृत अन्वेषण कार्य भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र कमांक 17022/3/2007–सीआरसी, दिनांक 29.08.2007 द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित किया जाय(छायाप्रति संलग्न)।

16/ यदि मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कंपनी(पूर्व में छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड) रायपुर को उपर्युक्त शर्ते मान्य हो तो कलेक्टर, जिला सरगुजा से नियमानुसार जमानत राशि जमा कराकर आदेश प्राप्त होने के 03 माह के भीतर अनुबंध का निष्पादन किया जाय तथा उक्त अनुबंध में पैरा–06, 08 से 15 की शर्तो का समावेश अतिरिक्त कंडिका के तौर पर किया जाए एवं अनुबंध की एक प्रति इस विभाग को भेजी जाय।

17/ अनुबंध निष्पादन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कंपनी(पूर्व में छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड) रायपुर पर खनिज राजस्व की कोई राशि बकाया तो नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(संजय कनकने)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

....................7

पृ0 कमांक एफ 2–22/2007/12, रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर, 2011

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली की ओर उनके पत्र कमांक 13016/23/2006–सीए–I, दिनांक 02.08.2006 के संदर्भ में,
2. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, गोण्डवाना हाऊस, कॉके रोड़, रांची(झारखण्ड)
4. कार्यालय कोल कंट्रोलर, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नंबर–1 काऊंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता–700001 (पश्चिम बंगाल)
5. मुख्य वन संरक्षक(भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, 1980, रायपुर
6. संचालक, भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण, रोहिणीपुरम्, रायपुर
7. **कलेक्टर, सरगुजा(छत्तीसगढ़)। कृपया उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुबंध निष्पादित करने एवं अन्य कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु,**
8. वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर(छत्तीसगढ़)
9. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमण्डल, जिला अंबिकापुर
10. डायरेक्टर आफ माईन्स एण्ड सेफ्टी, सीपत रोड़, एसईसीएल लिमिटेड परिसर, बिलासपुर
11. मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कंपनी(पूर्व में छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड) रायपुर 101, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर
12. गार्ड फाईल रजिस्टर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16/9/11

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

D:\MRD\Sarguja\2-22-2008 parsa coal.doc(Nimje)